



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2024/HQ/Admin/RTI-120

New Delhi: 31.01.2024

02-02

श्री/श्रीमती ऐश्वर्या मिश्र अधिवक्ता,
बी-11, एल0 जी0 एफ0,
लाजपत नगर-3
नई दिल्ली

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन 14.12.2023, जो इस कार्यालय में दिनांक 29.01.2024 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है;

श्री गौरव शर्मा
महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
चतुर्थ मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 01 पृष्ठ

(एस. के. पण्डा)

संयुक्त महाप्रबंधक / प्रशा. (ज. सू. अ.)

9717636811



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

पत्रांक:-एम0टी0सी0/ई0एन0/आर.टी.आई./मेरठ/वोल्यूम-8
27.01.2024

दिनांक

जेजीएम/एडमिन (सीपीआईओ),
डी.एफ.सी.सी.आई.एल., कॉरपोरेट ऑफिस,
न्यू दिल्ली।

विषय: जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आवेदनकर्ता ऐश्वर्या मिश्र एडवोकेट, पता बी-11, एल.जी.एफ, लाजपत नगर-3 नई दिल्ली-110024 का प्रार्थना पत्र दिनांक 14.12.2023 एवं (इस कार्यालय को प्राप्ति दिनांक 01.01.2024)

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-8 की उपधारा (g) & (j) व धारा 11 के अन्तर्गत आवेदनकर्ता के तृतीय पक्षकार होने के कारण चाही गयी सूचना को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

परियोजना प्रबन्धक/विद्युत,
जनसूचना अधिकारी,मेरठ।

प्रतिलिपि:

- (1) मुख्य महाप्रबन्धक/डीएफसीसीआईएल,मेरठ- को सूचनार्थ हेतू प्रेषित है।
- (2) जीएम/एमए/ईसी-III को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।
- (3) जेजीएम/एमए/ईसी-II-को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।